न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2020-00143Ju2020-66 Badrinarayan Vs State of Rajasthan etc

---

मृतक बद्रीनारायण थानवी के विधिक वारिसान्

01. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीनारायण थानवी, निवासी– नया बाजार, फलोदी, जिला फलोदी।
02. ओम प्रकाष पुत्र स्व. बद्रीनारायण थानवी, निवासी– नया बाजार, फलोदी।
03. गजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बद्रीनारायण थानवी, निवासी– नया बाजार, फलोदी।
04. अषोक कुमार पुत्र स्व. बद्रीनारायण थानवी, निवासी– नया बाजार, फलोदी।
05. सरला पुत्री स्व. बद्रीनारायणा थानवी, निवासी– नया बाजार फलोदी।
06. ललिता पुत्री स्व. बद्रीनारायण थानवी, निवासी– नया बाजार, फलोदी।
07. निर्मला पुत्री स्व. बद्रीनारायण थानवी, निवासी– नया बाजार, फलोदी।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।
2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) फलोदी, जिला फलोदी।
3. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच, खींचन, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
4. वक्फ बोर्ड रिये अध्यक्ष, जलेबी चौक, जयपुर, राजस्थान।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी दिनांक 26 फरवरी 2020 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र 349/2018(2007/00005) बद्रीनारायण बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री प्रेम दयाल बोहरा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री एम.डी. मेहर, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या चार

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 349/2018(2007/00005) बद्रीनारायण बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 29 जून 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट के पिता बद्रीनारायण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 160 रकबा 194 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 161 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 162 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 202 बीघा 13 बिस्वा ग्राम खींचन के संबंध में धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम मय धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2020 के जरिये वाद को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की पालना किये बगैर आनन–फानन में सरसरी तौर बेबुनियाद तकनीकी निष्कर्ष देते हुए सरसरी तौर पर पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का सही विवेचन नहीं किया है और मात्र विधि विरूद्ध सिद्वान्तों का पुष्टिकरण कर दिया जो कि विधि के नजरिये से कतई समर्थन योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मामले में विरचित तनकीयात पर अपना मत प्रतिपादित किये बिना तथा उन पर तर्कसंगत निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। वादी ओर से विचारण न्यायालय में घोषणात्मक पेश किया गया है और वादी द्वारा अपने दावा में वाद कारण को स्पष्ट रूप से अंकित किया है और अपीलाण्ट ने अपना दावा साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्ण रूप से अपने पिता के द्वारा और लगातार आज दिनांक तक अपीलाण्ट/वादी का कब्जा काष्त है। विचारण

न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 41 का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। कानूनन राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में पेश दस्तावेज को पढ़ने के लिए राजस्व न्यायालय पाबन्द है और किसी प्रकार से विधि को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर सेटलमेंट के समय से ही खालसा भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड थी। उक्त भूमि पर चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एवं कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, जबकि यह विवादित भूमि सेटलमेंट के पूर्व से ही वादी के पिता के कब्जा काश्त में थी और पिता की मृत्यु के बाद से वादी/अपीलाण्ट स्वयं ही एक वारिस होने से उसका कब्जा काश्त करता चला आ रहा है और किसी भी प्रकार से अन्य का कब्जा काश्त नहीं रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि संवत 2012 से 2031 में वादी के पिता बालकिशन थानवी का नाम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज है, परन्तु इस पर किसी प्रकार से कोई गौर नहीं किया गया व सेटलमेंट के समय में भी उक्त भूमि का उपयोग व उपभोक्ता का नाम ही दर्ज किया जाता था और उस समय भी सेटलमेंट अधिकारी के द्वारा उपभोक्ता बालकिशन थानवी का नाम ही दर्ज किया गया था। सेटलनमेंट के पूर्व में जागीरदार खीचन और वादी/अपीलाण्ट के पिता बालकिशन के बीच विवाद होने पर दिनांक 07.11.1955 मे बालकिशन थानवी का कब्जा काश्त होने के कारण उनका नाम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया था। अपीलांट द्वारा उक्त आदेष की नकल की कॉपी इस अपील के साथ पेश की गई है, जिसमें भी स्पष्टत है कि सेटलमेंट से पूर्व भी कब्जा काश्त वादी अपीलाण्ट के पिता व उसके बाद से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नहीं किया है कि उक्त गांव खीचन की उक्त विवादित भूमि को दीपजी की नाडी के नाम से सेटलमेंट से पूर्व से ही जाना जाता है जो अपीलाण्ट के पूर्वज है। आज भी वर्तमान में भी दीपजी की नाडी/दीपोलाई नाडी के नाम से जानी जाती है और किसी भी गांव/शहर में पूछा जाये तो सीधे दीपजी की नाडी लेकर जाया जा सकता है। इस तरह इन तथ्यो से यही साबित होता है कि असिस्टेण्ट रेकर्ड ऑफिसर द्वारा मिसल संख्या 54 तारीख 14.10.1954 मौजा खींचन की दरख्वास्त मे दिये गये बयानों तथा दिनांक 07.11.1955 को दिये गये फैसला में यह लिखा गया कि उपभोक्ता में नाम बाल किषन का दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय

का निर्णय व डिक्री मनमाना व रेकर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के विपरित है। अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उक्त वर्णित अनुसार पत्रावली पर पेश किये गये सशपथ जवाब व साक्ष्य आदि उपलब्ध होने के बावजूद किसी प्रकार से विधिक फाइडिंग नहीं दी गयी है। इसलिए आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2020 को खारिज फरमाया जावे एवं वादी का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन किस्म की प्रतिबंधित भूमि है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा माह अगस्त 2007 में वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये जाने के निर्देष दिये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद का खण्डन किया गया। तत्पष्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर मामले में निम्न तनकीयात कायम किये गयेः—

01. आया ग्राम खींचन के खसरा नंबर 160, 161 व 162 वादग्रस्त आराजी में खतेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है? **जिम्मे वादी......**
02. आया उक्त वाद में इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है? **जिम्मे प्रतिवादी....**
03. दादरसी?

तनकी संख्या एक के समर्थन में वादी की ओर से दस्तावेजी सांख्य प्रदर्ष–1 से प्रदर्ष–15 तथा मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू–1 बद्रीनारायण, पी.डब्ल्यू–2 मोहनलाल, पी. डल्ब्यू–3 सवाईसिंह पेष किये गये।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद में विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का तर्कसंगत विवेचन करते हुए अपना मत प्रतिपादित करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपना मत प्रतिपादित किये बिना सरसरी तौर पर नॉन स्पीकिंग आदेष पारित करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि की मंषा के विपरीत एवं तकनीकी आधार पर पारित किये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। लिहाजा मामले के तनकीवार एवं गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंषिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 349/2018(2007/00005) बद्रीनारायण बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 फरवरी 2020 खारिज किया जाता है एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का तर्कसंगत एवं विधि प्रावधानों के तहत विवेचन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर